कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / सी / एकीकरण / 19843 / 2025–26 / 07 दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा
.... (समस्त)

अति–आवश्यक

विषय : 0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि के संबंध में।
प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक : F.14(4)Edu -1/ School Merge-Demerge/2024-25311-6655448 जयपुर दिनांक : 17.03.26 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक : 17.03.26 के द्वारा राज्य में संचालित 0 से 14 (15 से कम) नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 (25 से कम) नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि की सूचना चाही है।

शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट दिनांक : 16.03.26 के अनुसार आपके जिले में 0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि की सूची निर्धारित प्रारूप में आपको प्रेषित की जा रही है । आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर सूचना तैयार करें । उक्त सूचना तैयार कर **दिनांक : 23.03.2026 को ब्लॉक 5, चतुर्थ तल, डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर के सभागार कक्ष में आयोजित कार्यशाला में प्रातः 10 बजे प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित करें** । उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु सम्बन्धित जि.शि.अ.(मु.)प्रा.शि. अथवा अति. जि.शि.अ.(मु.)प्रा.शि. एवं 1 विज्ञ कार्मिक निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिशः उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।
संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (विद्यालयी / संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक : 23.03.26 को प्रातः 9.30 बजे से कार्य पूर्ण होने तक सभागार कक्ष, ब्लॉक 5, चतुर्थ तल को आरक्षित कराने का श्रम करावें एवं लगभग 100 व्यक्तियों हेतु पेयजल, अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ), समग्र शिक्षा अभियान ।
5. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा ।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
7. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21088579

8. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक : 23.03.2026 को इस कार्यालय के कार्मिकों को सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. स. निदेशक, संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र में उल्लेखित निर्देशों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21088579

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रा.शि. राजस्थान, लालगढ़, बीकानेर, दूरभाष नंबर– 0151–2226551, ई–मेल–aayukt.ele@gmail.com वेबसाईट– www.education.rajasthan.gov.in

0 से 14 (15 से कम) नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 (25 से कम) नामांकन वाले रा.उ.प्रा. वि की सूचना तैयार करने हेतु प्रारूप भरने बाबत् निर्देश

1. इस कार्यालय द्वारा जो सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, उस सूची में अंकित क्रम संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। साथ ही, किसी भी विद्यालय को सूची में से हटाया नहीं जायेगा एवं किसी भी विद्यालय को सूची में नहीं जोड़ा जायेगा ।
2. प्रारूप भरने हेतु निर्देश निम्नानुसार है :–

कॉलम संख्या	कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाना है	विवरण
कॉलम संख्या 1	Calibri (Body) (Font size 10)	क्र.सं. अंकित की गई है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 2	Calibri (Body) (Font size 10)	शाला दर्पण पोर्टल अनुसार जिले का नाम पहले से अंकित किया गया है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 3	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि के ग्राम का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 4	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि की ग्रा.पं./न.नि./न.प./न.पा. का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 5	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि के ब्लॉक का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 6	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि की विधानसभा का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 7	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 8	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि का एनआईसी कोड पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 9	Calibri (Body) (Font size 10)	0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले रा.उ.प्रा.वि का डाईस कोड पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 10	Calibri (Body)	**0 से 14 नामांकन वाले रा.प्रा.वि. एवं 0 से 24 नामांकन वाले**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21088579

	(Font size 10)	रा.उ.प्रा.वि का नामांकन पहले से अंकित है । उक्त नामांकन शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट दिनांक : 16.03.26 के अनुसार अंकित किया गया है, अतः उक्त नामांकन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा । यदि किसी विद्यालय द्वारा पूर्व में शाला दर्पण पोर्टल पर नामांकन अद्यतन नहीं किया गया है तो यह जिम्मेवारी उक्त विद्यालय की है, अतः इस सम्बन्ध में निदेशालय से कोई पत्र व्यवहार अथवा दूरभाष नहीं करें ।
कॉलम संख्या 2 से 10 में अंकित सूचना में परिवर्तन होने की स्थिति में पृथक से पत्र मय दस्तावेज प्रेषित करें ।		
कॉलम संख्या 11 से 18 हेतु सामान्य निर्देश	**Calibri (Body) (Font size 10)**	**कॉलम संख्या 11 से 18 में कॉलम संख्या 7 में अंकित विद्यालय के निकटतम विद्यालय की प्रविष्टियां दर्ज की जानी है, ध्यान रहे कि इस कॉलम में केवल 1 ही विद्यालय का नाम अंकित किया जायेगा जो सबसे निकटतम है। यदि एक से अधिक विद्यालयों की दूरी एक समान है तो उच्चतम स्तर के विद्यालय का चयन किया जायेगा । उच्चतम स्तर के भी 2 विद्यालय एक समान है तो सह शिक्षा वाले विद्यालय का चयन किया जायेगा । इस कॉलम में ऐसे किसी भी रा.प्रा.वि. का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 0 से 14 हो अथवा ऐसे किसी भी रा.उ.प्रा.वि का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 0 से 24 है, अर्थात् नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी राजकीय विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नाम कॉलम संख्या 7 में अंकित है । साथ ही, कॉलम संख्या 11 से 18 में ऐसे किसी भी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका कुल नामांकन 0 से 39 (40 से कम) हैं । नजदीकी राजकीय विद्यालय में सिर्फ ऐसे विद्यालय का ही चयन किया जायेगा जिसका भवन सुरक्षित है कॉलम संख्या 11 से 18 में कहीं पर भी संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों की प्रविष्टि नहीं की जायेगी । यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय अन्य ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम या ब्लॉक में संचालित होने की स्थिति में भी उसका चयन किया जायेगा परंतु अन्य जिले के किसी भी विद्यालय को नजदीकी राजकीय विद्यालय में अंकित नहीं किया जायेगा ।**
कॉलम संख्या 11	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ब्लॉक का नाम शाला दर्पण पोर्टल अनुसार अंकित किया जाना है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21088579

कॉलम संख्या 12	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विधानसभा का नाम शाला दर्पण पोर्टल अनुसार अंकित किया जायेगा।
कॉलम संख्या 13	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम शाला दर्पण पोर्टल अनुसार अंकित किया जायेगा।
कॉलम संख्या 14	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एनआईसी कोड शाला दर्पण पोर्टल अनुसार अंकित किया जायेगा। **(विशेष ध्यान रखें) ध्यान रखें कि आप जो भी एनआईसी कोड अंकित कर रहे हैं, उस एनआईसी कोड के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा विद्यालय का ब्लॉक, विधानसभा, एनआईसी कोड, कुल नामांकन इत्यादि की सूचना शाला दर्पण पोर्टल से ली जायेगी, यदि आप द्वारा गलत एनआईसी कोड भरा गया तो समस्त जिम्मेवारी आपकी रहेगी ।**
कॉलम संख्या 15	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का डाईस कोड शाला दर्पण पोर्टल अनुसार अंकित किया जायेगा।
कॉलम संख्या 16	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 13 पर अंकित विद्यालय का नामांकन अंकित किया जायेगा । ध्यान रहे कि नामांकन दिनांक : 16.03.26 की शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट अनुसार अंकित करना है । **यदि सबसे निकटतम रा.प्रा.वि. का नामांकन 0 से 14 है या सबसे निकटतम रा.उ.प्रा.वि. का नामांकन 0 से 24 तो उसे छोडते हुए अगले नजदीकी राजकीय विद्यालय का चयन करें**
कॉलम संख्या 17	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 7 पर अंकित विद्यालय एवं कॉलम संख्या 13 में अंकित विद्यालय के बीच की दूरी अंकित करें । ध्यान रहे कि दूरी कि.मी. में अंकित की जानी है, अतः 3 कि.मी. के स्थान पर केवल 3 लिखे, 300 मीटर के स्थान पर केवल 0.3 लिखें, कि.मी एवं मीटर शब्द अंकित नहीं करें । अगर कि.मी. एवं मीटर शब्द अंकित किये गये तो सूचना पुनः तैयार करवाई जायेगी ।
कॉलम संख्या 18	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 7 पर अंकित विद्यालय एवं कॉलम संख्या 13 में अंकित विद्यालय के बीच यदि कोई बाधा है तो उसका विवरण अंकित किया जायेगा । बाधा हेतु केवल निम्नलिखित विकल्पों में से ही 1 विकल्प भरा जायेगाः– CANAL FOREST HIGHWAY

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21088579

		INACCESSIBLE PLACE/WAY MDR ROAD MEGA HIGHWAY MOUNTAIN NAALA NATIONAL HIGHWAY POND RAILWAY LINE RIVER STATE HIGHWAY उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि और कोई भी विकल्प अंकित किया गया जो अनुचित है तो दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाधा है तो इस कार्यालय के कार्मिकों से दूरभाष पर सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही अंकित करें ।	

3. पुनः निर्देशित किया जाता है कि कॉलम संख्या 11 से 18 में केवल एक ही विद्यालय की प्रविष्टि की जायेगी जो कॉलम संख्या 7 में अंकित विद्यालय के सबसे निकटतम है । यदि सबसे निकटतम रा.प्रा.वि. का नामांकन 0 से 14 है या सबसे निकटतम रा.उ.प्रा.वि. का नामांकन 0 से 24 है तो उसे छोडते हुए अगले नजदीकी राजकीय विद्यालय का चयन करें । नजदीकी राजकीय विद्यालय में केवल ऐसे विद्यालय का चयन करें जो विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित है ।
4. नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 0 से 39 है ।
5. ध्यान रहे कि आप नजदीकी राजकीय विद्यालय का जो भी एनआईसी उपलब्ध करवा रहे हैं, वह एनआईसी पूर्णतया सही हो । आप द्वारा उपलब्ध करवाई जा रहे एनआईसी के अनुसार नजदीकी राजकीय विद्यालय का विवरण इस कार्यालय द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा ।
6. नजदीकी विद्यालयों की दूरी के साथ यदि कि.मी. अथवा मीटर अंकित किया गया तो सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी ।
7. किसी भी कॉलम में यदि स्वयं की तरफ से कोई अतिरिक्त कॉलम जोड़ कर अनावश्यक सूचना अंकित की गई तो सूचना पुनः तैयार करवाई जायेगी । ऐसी सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी ।
8. सूची में अंकित कॉलम संख्या 7 का विद्यालय यदि पूर्व में सुव्यस्थित/मर्ज/वंद किया जा चुका है तो ऐसे विद्यालय के कॉलम संख्या 11 से 18 में कुछ भी अंकित नहीं करें एवं टेवल के नीचे विद्यालय मर्ज/वंद/सुव्यवस्थित करने हेतु पूर्व के शासन/निदेशालय के आदेश का उल्लेख करते हुए नोट अंकित करें । इस प्रकार के नोट के अतिरिक्त अन्य कोई नोट अंकित नहीं किया जायेगा ।
9. उपरोक्त निर्देशों में स्पष्ट अंकित किया गया है कि कौनसी सूचना किस फॉन्ट एवं किस फॉन्ट साईज में भरी जायेगी । यदि इसके उपरांत भी निर्देशों की अवहेलना की गई तो सूचना पुनः तैयार करवाई जायेगी।
10. पूर्व में कुछ विद्यालयों के नामांकन में हुई अत्यधिक वृद्धि की जांच पहले से इस कार्यालय में प्रक्रियाधीन है, अतः किसी भी प्रकार के फर्जी नामांकन वृद्धि को इस कार्यालय द्वारा गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा । संबंधित जि.शि.अ.(मु.)प्रा.शि. का यह दायित्व है कि किसी विद्यालय द्वारा यदि सूचना प्रेषित करने के उपरांत फर्जी नामांकन कर नामांकन वढाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे विद्यालय के दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
11. सूचना निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करने से पूर्व आपके कार्यालय स्तर से 2 बार जांच लेवें जिससे निर्धारित तिथि को विना विलम्ब किये आपके प्रस्ताव जमा किये जा सके ।
12. आवश्यकतानुसार दिनांक : 24.03.2026 को भी कार्यशाला आयोजित किये जाने की स्थिति में आपको अवगत करा दिया जायेगा ।
13. सूची एक्सल में तैयार कर निर्धारित तिथि को सॉफ्ट प्रति में जमा करवायें । आप द्वारा नजदीकी राजकीय विद्यालय का जो एनआईसी उपलब्ध करवाया गया है, उस एनआईसी से नजदीकी राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21088579

विद्यालय का पूर्ण विवरण शाला दर्पण पोर्टल अनुसार भर कर आपको उपलब्ध करवाया जायेगा जिसकी पुनः जांच आप द्वारा ही की जानी है, अतः सूची की जांच करने हेतु आप द्वारा तैयार सूची की 1 अहस्ताक्षरित प्रति साथ लावें । जांच उपरांत अद्यतन सूची को ई–साईन सहित जमा करवाया जायेगा । अतः पुनः लेख है कि एनआईसी कोड सही भरें ।

14. ब्लॉक कार्यालय एवं विद्यालय इस कार्यालय को सीधे सूचना प्रेषित नहीं करेंगे । ब्लॉक कार्यालय एवं विद्यालय के कार्मिक सूचना भरने में किसी प्रकार की सहायता हेतु अपनी समस्या सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में नोट करवायेंगे एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा का विज्ञ कार्मिक कार्यालय समय में इस कार्यालय के शैक्षिक अनुभाग के अधिकारी/कार्मिक से दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं । शैक्षिक अनुभाग के अधिकारी/कार्मिक का दूरभाष नम्बर "शैक्षिक अनुभाग राजस्थान ग्रुप–कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर" नाम के whatsapp group पर उपलब्ध है जिसमें अनुभाग के अधिकारी/कार्मिकों के अतिरिक्त केवल जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के कार्मिक जोड़े गये हैं ।
15. ई–मेल अथवा वाट्सएप पर सूचना की जांच करने हेतु कोई भी कार्मिक इस कार्यालय को सॉफ्ट प्रति नहीं भेजेंगे । प्रारूप के प्रत्येक कॉलम को भरने हेतु विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है । प्रत्येक जिले की सूचना में विसंगतियों की जानकारी वाट्सएप/ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से दी जानी सम्भव नहीं है ।
16. सूचना प्रस्तुत करने वाले दिवस को लैपटॉप, पैन ड्राइव एवं इन्टरनेट डोंगल साथ लेकर आवें । **लैपटॉप एवं इन्टरनेट डोंगल साथ लाना अनिवार्य है ।**
17. सूचना प्रस्तुत करने के दौरान अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करें । आवश्यकतानुसार अवकाश के दिवस कार्यालय खुला रखते हुए कार्य करें ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.17 19:08:47 IST

RajKaj Ref No.:
21088579